औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर, राजस्थान

Presiding Officer : **Pawan kumar,** RHJS

Misc. IT App. No. : **76/2001**

CIS No. : **2104/2015**

महा प्रबंधक (दुर्घटना/प्रशिक्षण) एवं प्राधिकृत अनुशासनिक अधिकारी, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

..... प्रार्थी

ब ना म

रहमतुल्ला खां पुत्र श्री मूसे खां, पद–चालक, निवासी–जाटावास, महामन्दिर, जोधपुर, राज0

..... अप्रार्थी

Application U/s 33(2)(b) Industrial Disputes Act 1947

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से : श्री मनोज गोयल

अप्रार्थी की ओर से : श्री बी.एम. बागडा

दिनांक : 22.06.2026

निर्णय

महा प्रबंधक (दुर्घटना/प्रशिक्षण) एवं प्राधिकृत अनुशासनिक अधिकारी, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर की ओर से अप्रार्थी श्रमिक रहमतुल्ला खां पुत्र श्री मूसे खां के विरूद्ध पारित सेवापृथक आदेश क्रमांक 792 दिनांक 17.04.2001 के अनुमोदन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे सुविधा की दृष्टि से **'अधिनियम'** लिखा जायेगा) की धारा 33(2)(बी) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2001 को प्राप्त हुआ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्रमिक को आरोप पत्र क्रमांक 1291/29.02.92 जारी कर दिनांक 02.05.92 को वाहन संख्या 937 का निरीक्षण करने पर वाहन में 120 किलोग्राम लगेज बिना टिकिट पाये जाने एवं

दिनांक 23.05.92 को वाहन संख्या 117 पर बतौर परिचालक डयूटी होने पर बारा छीपा बडोद पर निरीक्षण करने पर उक्त वाहन में 35 यात्री बिना टिकिट पाये गये जिनसे किराया राशि निरीक्षण पूर्व वसूल कर चुके थे, निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप है। उक्त आरोप के संबंध में नियमानुसार विभागीय जांच कराई जाने पर जांच में आरोप साबित पाए जाने पर प्रार्थी निगम द्वारा निगम के स्थायी आदेश 1965 की धारा–36(7) के तहत अप्रार्थी श्रमिक को जरिये आदेश संख्या 792 दिनांक 17.04.2001 द्वारा सेवा पृथक कर अनुमोदन हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष यह आवेदन पेश किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अनुमोदन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अभिकथन किया है कि प्रार्थी निगम द्वारा अधिनियम के आज्ञापक तीनों प्रावधानों की पालना एक ही संव्यवहार में नहीं की गई। श्रमिक को एक माह का पूर्ण नोटिस वेतन अदा नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा आरोप पत्र दिनांकित 29.12.92 का जवाब पेश किया गया था, लेकिन जॉच अधिकारी द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया। दिनांक 23.05.92 को बारा छीपा बडोद मार्ग पर अप्रार्थी की डयूटी से पहले चालक रामचन्द्र था और जो रिमार्क लगाया गया है वह प्रथम चालक रामचन्द्र के समय का था इसलिए अप्रार्थी पर प्रथम दृष्टया आरोप नहीं बनता है। अप्रार्थी की नियुक्ति निगम में चालक के पद पर हुई थी, जबकि निगम द्वारा उससे परिचालक का कार्य कराया गया, जो निगम नियमों का उल्लंघन है। गुणावगुण पर कथन किया है कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अप्रार्थी श्रमिक के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। अतः अनुमोदन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है।

प्रार्थी निगम द्वारा जवाबुल जवाब पेश कर अभिकथन किया है कि श्रमिक को एक माह का नोटिस वेतन में 500/–रू0 अतिरिक्त जोड़कर भुगतान किया गया है। निगम द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार श्रमिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच कराई जाकर आरोप सिद्ध पाये जाने पर अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुये अनुमोदन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो उचित एवं वैध है।

न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 09.10.2025 द्वारा अप्रार्थी श्रमिक के विरूद्ध की गई जांच कार्यवाही को अशुद्ध एवं अनुचित घोषित किया गया है। प्रार्थी निगम की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अजमेरिया व बक्शाराम चौधरी का शपथ पत्र साक्ष्य में पेश हुआ व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श एम–1 परिचालक मार्ग विपत्र, प्रदर्श एम–2 वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रदर्श एम–3 आरोप पत्र दिनांकित 29.12.92, प्रदर्श एम–4 बे बिल, प्रदर्श एम–5 वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रदर्शित करवाया तथा उक्त गवाहान से अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई। अप्रार्थी श्रमिक की ओर से स्वयं रहमतुल्ला खां का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रदिर्शत नहीं कराये, जिससे प्रार्थी निगम द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी प्रतिनिधि ने दौराने बहस कथन किया कि जांच कार्यवाही को अशुद्ध एवं अनुचित घोषित किया जा चुका है। प्रार्थी निगम की ओर से प्रस्तुत गवाहान महेन्द्र कुमार अजमेरिया ने अपनी जिरह में प्रदर्श एम–3 लगायत 5 पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना ना ही उसे तथ्यों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी होना स्वीकार किया है तथा रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी होना बताया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया प्रदर्श एम–3 लगायत 5 उसके सामने नहीं बने। प्रस्तुत गवाह शिकायतकर्ता नहीं है। अतः मौके की कोई साक्ष्य नहीं होने से आरोप साबित नहीं हो सकता। दूसरा गवाह बक्शाराम चौधरी ने भी अपनी जिरह में वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन को अपनी हस्तलिपि में होना स्वीकार कर सामान का वजन ध्यान नहीं होना बताया। वजन 120 किलोग्राम किस आधार पर लिखा उसका भी कोई आधार नहीं बताया है। बस में जिन यात्रियों को टिकिट बनाया था उनका नाम याद नहीं होना स्वीकार किया। गवाह ने वाहन चालक द्वारा अपना व्यक्तिगत सामान अपने साथ नहीं ला सकता, नियम के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया। श्रमिक के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने का भार नियोजक पर था और निगम

साक्ष्य से श्रमिक के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। अतः अनुमोदन अस्वीकार किया जाए।

प्रार्थी प्रतिनिधि ने दौराने बहस कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आरोप पत्र दिनांकित 29.12.92 का जवाब पेश किया गया था, लेकिन जॉच अधिकारी द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अप्रार्थी की नियुक्ति निगम में चालक के पद पर हुई थी, जबकि निगम द्वारा उससे परिचालक का कार्य कराया गया, जो निगम के स्थाई नियमों के विपरीत है। यह भी कथन किया कि निगम की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने श्रमिक पर लगाये गये आरोपों को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। श्रमिक पर लगाये गये आरोप निगम के स्थाई आदेशों के तहत दुराचरण की परिभाषा में आते हैं। अतः अनुमोदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उभय पक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रार्थी निगम द्वारा अप्रार्थी श्रमिक के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर निगम के स्थाई आदेशों के अनुसार दोषी मानते हुए आदेश क्रमांक 792 दिनांक 17.04.2001 द्वारा सेवा मुक्त किया गया है, जिसके अनुमोदन किये जाने की निगम ने प्रार्थना की है। आरोप पत्र क्रमांक 1291 दिनांक 29.12.92 में श्रमिक के विरूद्ध प्रथम आरोप दिनांक 02.05.923 को वक्त निरीक्षण 120 किलोग्राम का लगेज बिना टिकिट पाये जाने व द्वितीय आरोप में दिनांक 23. 05.92 को वाहन संख्या 117 पर बारा छीपा बडोद मार्ग पर बतौर परिचालक कार्यरत होने व वाहन का निरीक्षण करने पर उक्त वाहन में 35 यात्री बिना टिकिट पाये गये जाने निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप है।

पत्रावली पर आयी साक्ष्य का परिशीलन करें तो प्रकट होता है कि उक्त आरोपों के संबंध में प्रार्थी निगम की ओर से महेन्द्र कुमार, प्रबंधक यातायात को साक्ष्य के रूप में उपस्थित हुआ, जिसने अपनी शपथपत्रीय साक्ष्य में दिनांक 23.05.92 को वाहन संख्या 117 पर अप्रार्थी की परिचालक के पद पर डयूटी होने व वाहन निरीक्षण आगमन छजावा पर पर वाहन में 35 यात्री बिना टिकिट पाये गये जिनसे अप्रार्थी निरीक्षण पूर्व राशि वसूल कर

चुका था की साक्ष्य दी है तथा कथन किया कि बिना टिकिट यात्रियों को निरीक्षण दल द्वारा अप्रार्थी की टिकिट बुक से टिकिट जारी किये व बे बिल संख्या 2437328 पर रिमॉर्क अंकित किया। बे बिल प्रदर्श एम–4 पर निरीक्षणकर्ताओं के हस्ताक्षर व वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श एम–5 निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर होना कथन किया तथा आरोप पत्र दिनांकित 29.12.92 प्रदर्श एम–3 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श एम–3 लगायत 5 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है ना ही उसे तथ्यों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी है तथा रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी होना बताया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया प्रदर्श एम–3 लगायत 5 उसके सामने नहीं बने और उस पर किसके हस्ताक्षर है उसे मालूम नहीं है।

अन्य गवाह बक्शाराम चौधरी ने शपथपत्रीय साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 02.05.92 को अप्रार्थी की डयूटी वाहन संख्या 937 देहली से जयपुर तक क्रयू चेन्ज में थी। अप्रार्थी उक्त वाहन में बैठ कर जयपुर से जोधपुर यात्रा कर रहा था। वाहन का निरीक्षण आगमन देवलिया पर किया तो वाहन में 120 किलोग्राम लगेज बिना टिकिट पाया गया। वक्त निरीक्षण बिना टिकिट लगेज का रिमॉर्क परिचालक के मार्ग विपत्र संख्या 2957129 पर अंकित किया गया जो प्रदर्श एम–1, वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श एम–2 तथा आरोप पत्र दिनांकित 29.12.92 प्रदर्श एम–3 है। गवाह ने प्रदर्श एम–1 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श एम–2 उसकी हस्तलिपि में है, वजन 120 किलोग्राम था यह उसे याद ध्यान नहीं है। गवाह ने अपने पास वजन काटा नहीं होना स्वीकार किया। गवाह ने लॉग शीट पत्रावली पर नहीं होना स्वीकार किया गवाह ने इस संबंध में जानकारी नहीं होना बताया कि वाहन चालक अपना व्यक्तिगत सामान साथ नहीं ला सकता। गवाह ने दूसरे चालक के बारे में भी ध्यान नहीं होना कथन किया।

बचाव साक्ष्य में अप्रार्थी श्रमिक रहमतुल्ला स्वयं परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी शपथपत्रीय साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी निगम में चालक के पद पर नियुक्ति हुई थी। दिनांक 02.05.92 को उसकी डयूटी

चालक के पद पर थी और दिल्ली से वह घरेलु सामान खरीद कर लाया था, जिसका निरीक्षणदल ने 10 गुणा पैनल्टी से किराया वसूल कर टिकिट बना दिया था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने शपथ पत्र के पैरा संख्या 2 में दिल्ली से खरीद कर लाया गया था वह उसका नहीं है स्वीकार किया। दिनांक 02.05.92 को बैठकर जा रहा था वह वाहन नहीं चला रहा था। गवाह ने इस बात को गलत होना बताया कि दिनांक 23.05.92 को वह परिचालक के पद कार्य कर रहा है।

प्रार्थी श्रमिक पर दिनांक 23.05.92 को वाहन संख्या 117 बारा छीपा बदोड मार्ग पर परिचालक की डयूटी करते समय वाहन में 35 यात्री बिना टिकिट पाये जाने का आरोप है, इस संबंध में निरीक्षण दल में श्री एम.एम पारीक, सुरेश चन्द शर्मा, आर.पी. शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा व रामस्वरूप शर्मा के द्वारा द्वारा वाहन निरीक्षण किया गया है और निगम की ओर से अप्रार्थी श्रमिक के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु गवाह के रूप में श्री महेन्द्र कुमार प्रबंधन यातायात पाली आगार को पेश किया गया है, गवाह ने वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श एम–5, मार्ग विपत्र प्रदर्श एम–4 व आरोप पत्र दिनांक 29.12. 1992 प्रदर्श एम–3 प्रदर्शित कराया गया है। निगम की ओर से प्रस्तुत गवाह निरीक्षण दल का सदस्य नहीं था और न ही उसके द्वारा वाहन का निरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रदर्श एम–3 लगायत प्रदर्श एम–5 उसके द्वारा जारी नहीं किये गये हैं और न ही उसके हस्ताक्षर है। मौके पर चश्मदीद गवाह के रूप में तात्कालीन चालक को भी निगम द्वारा साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। अतः निगम की ओर से महत्वपूर्ण गवाह साक्ष्य में पेश नहीं किये गये हैं और जो गवाह पेश किया गया है वह मौके का गवाह नहीं है और न ही उसकी साक्ष्य से कोई भी दस्तावेज प्रमाणित होता है क्योंकि निगम द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेजों प्रदर्श एम–3 लगायम एम–5 पर न ही उसके हस्ताक्षर है और न ही उसके सामने बनाये गये हैं। अतः निगम साक्ष्य से श्रमिक के विरूद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2019 LLR 243 DTC vs Rajbir Singh** में माननीय देहली उच्च न्यायालय द्वारा यह

अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रबंधन सुसंगत (relevant) साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहता है तो प्रबंधन श्रमिक के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में असफल (fail) माना जावेगा। विचारणीय मामले में भी प्रार्थी निगम द्वारा श्रमिक के विरूद्ध लगाये गये आरोप निगम साक्ष्य से साबित नहीं होते हैं।

दूसरे आरोप में जो 120 किलोग्राम लगेज वाहन में पाये जाने का आरोप है। उसके संबंध में मेरे विनम्र राय में प्रार्थी निगम द्वारा अप्रार्थी श्रमिक पर वाहन में यात्रा करते समय 120 किलोग्राम का लगेज पाये जाने पर उससे 10 गुण पैनल्टी के साथ किरायाराशि वसूल की है। मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, 1988 की धारा 29 में परिचालक के दायित्व को परिभाषित किया है जिसमें वाहन में यात्रियों को टिकिट जारी करना, यात्रियों का नियमन, वाहन की निगरानी, वाहन में ले जाये जा रहे लगेज को भी टिकिट जारी करने की जिम्मेदारी स्वयं परिचालक की होती है। निरीक्षणदल द्वारा वाहन में बिना टिकिट लगेज पाये जाने पर परिचालक के विरूद्ध इस आशय का रिमॉर्क लगाया जाकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी लेकिन अप्रार्थी निगम द्वारा तत्कालिन परिचालक के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी हो इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही की गयी। वाहन में यात्रा करते समय लगेज बिना टिकिट पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन परिचालक की होती है। निगम में चालक के यात्री के रूप में यात्रा करते समय लगेज पाये जाने पर उसके विरूद्ध आरोप लगाये जाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में निगम द्वारा कोई आदेश परिपत्र जारी किये गये हो तो ऐसा भी कोई आदेश निगम की ओर से पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी वाहन में बतौर चालक हो, इस कथन से अप्रार्थी ने इंकार किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि उसकी ड्यूटी क्रू चेंज में देहली से जयपुर तक थी तथा वह जयपुर से जोधपुर यात्रा कर रहा था और अगर यह मान भी लिया जाये कि अप्रार्थी बतौर चालक वाहन में था तो प्रार्थी निगम द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी कि वाहन में लगेज बिना टिकिट पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी वाहन चालक की हो, मेरी विनम्र राय में भी वाहन में लगेज बिना टिकिट पाये जाने पर इसका विधिक दायित्व परिचालक का होता है ना कि

चालक का होता है। अप्रार्थी श्रमिक की ड्यूटी वाहन में बतौर चालक हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रार्थी निगम की ओर से पेश नहीं की गई है। प्रार्थी निगम द्वारा प्रार्थी की ड्यूटी चालक के होने के संबंध में वाहन लॉगशीट अभिलेख पर पेश नहीं की है, जिसे निगम गवाह ने भी जिरह में स्वीकार किया है और निगम गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी कथन किया है कि 120 किलोग्राम वजन क्या था मुझे ध्यान में नहीं है। यात्री का नाम भी आज ध्यान नहीं है, लॉग शीट पत्रावली पर पेश नहीं की गयी है। यदि कोई वाहन चालक है तो वह अपना व्यक्तिगत सामान नहीं ला सकता ऐसा कोई नियम हो तो उसे मालूम नहीं है। अतः निगम गवाह ने भी ऐसा कोई नियम होने के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होना बताया है। अतः ऐसी साक्ष्य के आधार पर श्रमिक पर लगाया गया आरोप साबित नहीं माना जा सकता। निष्कर्षतः प्रार्थी निगम की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से श्रमिक के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रकरण में निम्न आदेश पारित किया जाता है–

<u>आदेश</u>

प्रार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33(2)(बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रहमतुल्ला खां के विरूद्ध पारित सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 17.04.2001 का अनुमोदन नहीं किया जाता है।

(पवन कुमार)
न्यायाधीश
औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

आदेश आज दिनांक 22 जून 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पवन कुमार)
न्यायाधीश
औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर